न्यायालय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया
मुफ्फसिल /मनुआपुल/– 346/2020

दिनांक–09/09/2020

मुफ्फसिल /मनुआपुल/ थाना कांड संख्या – 346/2020 के अन्तर्गत दिनांक 07/09/2020 से कारांबदी अभियुक्त गंगा यादव एवं संदीप यादव की ओर से उनका जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं । उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया हैं। उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया हैं। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा0 को प्रदान की गयी ।

विद्वान जिला अभियोजन पदा0 श्री सतीश कुमार की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 03/06/2020 को समय करीब 08:00 बजे रात्री में सूचक अपने बगीचा से आम बेचकर घर आया था । तभी दरवाजे पर गंगा यादव, संदीप यादव, सैलेश यादव , राज हरण यादव, अखिलेश यादव, मिथलेश यादव, चंदन यादव एवं कुन्दन यादव हर्वे हथियार से लैश होकर आ गये । तथा सूचक से गाली गलौज करने लगे । जब सूचक ने इसका विरोध किया तो सभी ने बोला कि बगीचा में काम करने से मना किया । बगीचा लिया पैसा दो तब सूचक ने कहा कि हमारे पास पैसा नही है । भतीजा संजय यादव के पास है । जब उसको बुलाने के लिए कहा गया तो फोन करके बुला लिया गया । तो उसके साथ संजय यादव गाली –गलौज करने लगे तथा उसके पाकेट से 40,000/– रूपये रंगदारी के रूप में निकाल लिये । सैलेश यादव , राज हरण यादव, अखिलेश यादव, मिथलेश यादव सभी ने सूचक को पकड कर तथा गंगा प्रसाद ने अपने हाथ में लिऐ दबिला से जान मारने के नियत से वार कर दिये । जिससे दाहिना कान के कपट कट गया । जब सूचक की पत्नी बचाने आयी तो राज हरण ने सूचक की पत्नी के केश पकडकर पटक दियें तथा मिथलेश यादव एवं कुन्दन यादव खीच लिये । जिससे सूचक की पत्नी वे पर्द हो गयी । तभी सूचक का भतीजा इसका विरोध किया । तो उसे भी शैलेश यादव ने फरसा से जान लेवा हमला कर दिये । जिससे उसका भी सर कट गया ।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण है। इस वाद में भा0 द0 वि0 की धारा 147, 341, 323, 324, 307, 447, 354बी 379, 504, 506 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। जिसमें भा0 द0 वि0 की धारा 307, 354बी 379 अजमानतीय है तथा यह वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक अभियुक्तों पर सूचक ने गाली – गलौज करने , जानलेवा हमला करने, रंगदारी के रूप में पाकेट से 40,000/– रूपये निकालने एवं सूचक के पत्नी को वे पर्द करने एवं उसके सिर पर फरसा से मारकर बुरी तरह जख्मी करने का आरोप है । आवेदक अभियुक्तों के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्तों कों जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तदनुसार आवेदक अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 07/09/2020 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी